| | |
|---|---|
| 28.7.23 | पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। जवाब सरकार प्राप्त। वकील प्रार्थी की बहस सुनी गयी। वकील प्रार्थी ने अपनी बहस में निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थी व अप्रार्थीगण की सहखातेदारी की भूमि है। अप्रार्थीगण आये दिन प्रार्थी के हिस्से की भूमि के कब्जे-काश्त में बाधा उत्पन्न करते है। अतः दिनांक 25-3-2021 को जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को कन्फर्म किया जावें। पेशकार सरकार ने अपने जवाब को ही बहस के तौर पर समझे जाने हेतु निवेदन किया। वकील प्रार्थी की बहस एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होते है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा-212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का स्वीकार योग्य |

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 14:00:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रूपनगढ़ (अजमेर)

होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा पूर्व में दिनांक 24-3-2021 को जारी अस्थाई निषेधाज्ञा को कंफर्म किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28-7-2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

28-7-23

उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2023.08.24 14:00:51 IST
Reason: SelfAttested